

समाचार-प्रकाशनार्थ :-

कस्तूरबा नगर टंकी से होगी ऐतिहासिक शुरुआत
विधायक मा० श्री काश्यप करेंगे नियमित जल वितरण का शुभारंभ

रतलाम 13 दिसंबर । विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य काश्यप 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे कस्तूरबा नगर टंकी से क्षेत्रवासियों को नियमित जल वितरण का शुभारंभ करेंगे। नगर निगम द्वारा इसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। दो दिनों से क्षेत्र में नियमित जल वितरण की टेस्टिंग की जा रही थी, जो सफल रही।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने अक्टूबर माह के दौरान थावरिया बाजार टंकी के लोकार्पण समारोह में नगर निगम को शहर में फिर से नियमित जल वितरण की शुरुवात करने का लक्ष्य दिया था। निगम द्वारा इस पर लगातार कार्य कर पाइप लाइन के लिकेज सुधारे गए और अन्य तकनीकी तैयारियां पूरी कर प्रायोगिक रूप से पहले कस्तूरबा नगर टंकी से नियमित जल वितरण का निर्णय लिया गया है। इसके बाद शहर में स्थित अन्य टंकियों से नियमित जल वितरण आरंभ होगा और पूरे शहर में रोज पानी दिया जाएगा।

गौरतलब है कि विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में शहर में नियमित जल वितरण आरंभ कराने का संकल्प व्यक्त किया था। सोमवार से यह संकल्प पूरा होने जा रहा है। कस्तूरबा नगर टंकी के बाद नगर निगम द्वारा दीनदयाल नगर टंकी से नियमित जल वितरण आरंभ किया जाएगा। इससे शहर के चार वार्डों के 15 हजार से ज्यादा रहवासियों को रोज पानी मिलेगा। विधायक श्री काश्यप के निर्देशानुसार बाद में नगर निगम द्वारा सभी क्षेत्रों में नियमित जल वितरण की शुरुवात की जाएगी। एक सप्ताह में इस व्यवस्था की समीक्षा कर धीरे-धीरे पूरे शहर को नियमित पानी देने की योजना पर होगा ।

प्रारंभ में कस्तूरबा नगर टंकी से क्षेत्र को दो जोन में बांटकर नियमित जल वितरण होगा। जोन एक में कस्तूरबा नगर गली नं. 8, मनीष नगर, मोहन नगर टॉवर वाली रोड, मोहन नगर 27 ब्लॉक, टेलीफोन नगर, भगत सिंह नगर, रंजीत नगर, सुंदरवन कॉलोनी आदि शामिल रहेंगे, जबकि जोन दो में कस्तूरबा नगर गली नं. 1 से 7, कस्तूरबा नगर मुख्य मार्ग, राम मंदिर से सज्जन मिल गेट तक की कस्तूरबा नगर तरफ वाली पट्टी, एमबी नगर, सेंट्रल प्लाजा, पदम श्री वाली रोड, सज्जन मिल चाल, कल्पतरु कॉलोनी, शक्ति नगर, प्रियदर्शनी नगर, आदर्श नगर, राजू नगर, बसंत विहार, सज्जन मिल गेट के अंदर जल वितरण होगा।

होमगार्ड कालोनी में बनेगा नवीन सांस्कृतिक भवन

विधायक मा० श्री काश्यप ने किया कार्य का भूमि पूजन

रतलाम 13 दिसम्बर। पुराने समय में गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हेतु धर्मशालाएँ हुआ करती थी किन्तु वर्तमान समय में धर्मशालाओं का अभाव होने सांस्कृतिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है जिससे नागरिकों को सुविधा हो।

उक्त उद्गार विधायक रतालम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने होमगार्ड कालोनी में पुराने सम्बल की भूमि पर विधायक निधी से निर्मित किये जाने वाले सांस्कृतिक भवन के भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे नगर का विस्तार होता है वैसे-वैसे नगर में विकास कार्य कराये जाने की संभावनाएँ बढ़ती जाती है। वर्तमान समय में गरीब एवं मध्यम वर्ग के छोटे-मोटे सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में काफी परेशानी उठाना पड़ती है उनकी परेशानियों निदान हेतु सांस्कृतिक भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि वे सुविधा पूर्वक अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकें।

उन्होंने कहा कि होमगार्ड कालोनी के सांस्कृतिक भवन हेतु 1 बड़ा हॉल, 2 कमरे निर्माण कराये जाने की कार्ययोजना थी किन्तु नागरिकों को सर्वसुविधा युक्त सांस्कृतिक भवन मिले इस हेतु भोजन निर्माण हेतु एक शेड का भी निर्माण कराया जायेगा।

भाजपा जिला महामंत्री श्री मनोहर पोरवाल ने कहा कि होमगार्ड कालोनी में 25 लाख की राशि से सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है इससे पूर्व नगर के विभिन्न स्थानों पर 4 सांस्कृतिक भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। होमगार्ड कालोनी के बाद डोसीगांव व बिरियाखेड़ी सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जायेगा।

प्रारंभ में विधायक रतालम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप, भाजपा जिला महामंत्री श्री मनोहर पोरवाल, पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजक श्रीमती अनिता कटारिया, मण्डल अध्यक्ष सर्वश्री कृष्ण कुमार सोनी, नीलेश गांधी, मयूर पुरोहित आदि का स्वागत पूर्व पार्षद श्रीमती सुशीला परमार द्वारा पुष्प गुच्छ से किया गया। उद्बोधन पश्चात नवीन सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन विधिवत् पूजा अर्चना कर किया गया।

भूमि पूजन के अवसर पर सर्वश्री महेश अग्रवाल, मणीलाल जैन, मनसुखलाल माली, मुबारिक शैरानी, बंटी वोरा, राधेश्याम मारु, राजू मईड़ा, कन्हैयालाल मालवीय, मनोज, निलेश राव, दिनेश जैन, इब्राहिम शैरानी, नीरज परमार, राकेश परमार, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, श्री विकास मरकाम सहित क्षेत्रिय नागरिक उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन श्री राकेश परमार ने किया व आभार श्री नीरज परमार ने माना।

स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का प्रतीक है

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के सैकड़ों कचरा मुक्त स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश

रतलाम 13 दिसम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का प्रतीक है, सभी लोगो का यह

दायित्व है कि वह अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाते हुए स्वस्थ एवं रोग मुक्त जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि लोगो का यह भी कर्तव्य है कि अपने आस पास के लोगो को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करें और गन्दगी न फैलने दे तथा कूड़ा कूड़े दान में ही डाले। स्वच्छता को बढ़ावा देकर जहां बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है, वहीं, लोगो के जीवन को खुशहाल भी बनाया जा सकता है। समाज से जुड़े होने के नाते सभी की यह जिम्मेदारी है कि वे स्वयं स्वच्छता को अपनाएं तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगो को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान, मेरी शान, स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आह्वान लोगो से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगो से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान रविवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगो से आह्वान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

महावीर नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 37,05,253/- संपत्तिकर व 10,13,125/- जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 13 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त

तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/- व जलकर 43,460/-, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/- व जलकर 43,830/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/- व जलकर 41,850/-, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/- व जलकर 1,06,050/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/- व जलकर 84,000/-, तिरुपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/- व जलकर 14,800/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/- व जलकर 18,430/-, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/- व जलकर 37,520/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/- व जलकर 41,200/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/- व जलकर 31,700/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/- व जलकर 13,500/-, हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/- व जलकर 29,500/-, डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/- व जलकर 80,000/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/- व जलकर 24,800/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95,424/- व जलकर 46,350/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,61,000/- व जलकर 45,500/-, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2,58,000/- व जलकर 90,310/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,39,000/- व जलकर 1,58,845/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 94,633/- व जलकर 24,500/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,31,093/- व जलकर 68,580/- की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 37,81,253/- संपत्तिकर व 10,37,725/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये

1,00,000/- (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रुपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/13.12.2020/न.पा.निगम, रतलाम.